झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वाकर/कम्प्यू/09/2013– 852(A)/ राँची, दिनांक– 13/3/14

प्रेषक,

एम0 आर0 मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/ (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** तथा नियम 42 (12) के अधीन राज्य के भीतर परिगमन हेतु प्रयुक्त घोषणा पत्र **SUGAM P** की विहित प्रकिया में संशोधन करने के सबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या– 5241 दिनांक 25.09.2013 एवं परिपत्र संख्या 6102 दिनांक 13.12.2013

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्रों के कम में **दिनांक 11.03.2014** के प्रभाव से निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

अपवादिक स्थिति में व्यवसायी द्वारा SUGAM P के "Active Status" की अवधि में अंचल प्रभारी को संबंधित माल परिवहन की प्रकिया पूरी नही होने के कारण (दस्तावेजी प्रमाण सहित) का उल्लेख करते हुए आवेदन देना होगा। संबंधित अंचल प्रभारी द्वारा उक्त आवेदन तथा उपस्थापित प्रमाणों से संतुष्ट होने के उपरांत ऑनलाईन निर्गत SUGAM P के "Active Status" का ऑनलाईन अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

विभागीय परिपत्र संख्या– 5241 दिनांक 25.09.2013 में वर्णित निर्गमन की प्रकिया पूर्ववत रहेगी।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

ह0/ 12.3.14

(एम0 आर0 मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।